न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 1015/2016

1. राजेश पुत्र श्री गोपाल लाल
2. रामकिशोर पुत्र सीताराम

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम गुढासर्जन सिरसली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री गणेश
2. हनुमान पुत्र गणेश
3. गोपाल
4. धर्मचन्द

पुत्रान रामेश्वर

5. सूरजमल (फौत)

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम सिरसली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

6. कानाराम
7. लालचन्द

पुत्रान हनुमान

8. बाबूलाल
9. मनोज
10. सांवरमल

स्व. श्री गोविन्दराम

11. तहसीलदार महोदय, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण–

12. नरेन्द पुत्र भगवान सहाय
13. भगवान सहाय उर्फ भगवान उर्फ भगवाना पुत्र श्योनाथ
14. ग्यारसी देवी पत्नी भगवान सहाय

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिरसली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

15. प्रभूदयाल पुत्र श्योला जाति जाट
16. गोरधन पुत्र हनुमान जाति अहीर
17. जुगल किशोर पुत्र भूरामल, जाति जाट निवासी ग्राम सिरसली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण–

18. सिडीकेंट बैंक शाखा चौंमू जरिये प्रबन्धक

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री राजेश कुमार रूहेला अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री बंशीधर जाट रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 04–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा **225** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 9.11.2016 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जिला जयपुर प्रकरण संख्या 87/2016 उनवानी राजेश बनाम रामेश्वर वगैरा व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्रा... जयपुर

की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1145, 1147, 1147/1254, ग्राम सिरसली पटवार हल्का सिरसली तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें खसरा नम्बर 1145 के पूर्व दिशां मे प्रत्यर्थीगण 1 ता0 10 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1158, 1160, 1161, 1198, स्थित है अपीलार्थीगण ने अपने खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर चारों ओर लोहे के पोल गाढकर तार बाउण्ड्रीवाल कर रखी है तथा दिनांक 12.03.2016 को प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता0 10 अपीलार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1145, 1147, 1147/1254 में लगी लोहे की पोल व बाउण्ड्रीवाल को उखाडकर व तोडकर अपीलार्थीगण की भूमि पर उगी जौ की फसल को खुर्द–बुर्द कर वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने लगे तथा अपीलार्थीगण द्वारा मना करने पर भी नहीं माने। इस पर अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में यह अनुतोष चाहा गया कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता0 10 अपीलार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1145, 1147, 1147/1254 पर लगे लोहे के पोल व बाउण्ड्रीवाल को उखाडे नहीं, ना ही तार बाउण्ड्री को खुर्द–बुर्द करे ना ही अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजी कृषि भूमि पर कब्जा करे, ना ही अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर कोई पक्का निर्माण कार्य करें, ना ही अपीलार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि से जबरिया बेदखल करें ना ही उक्त कृत्य प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता0 10 स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व वर्कमेन से करावे। दिनांक 04.11.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 09.11.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपनी मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.11.2016 पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड दस्तावेजात एवं कानूनी सिद्धान्तों के विपरीत व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया गया कि अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 1145, 1147, 1147/1254 के रिकॉर्डेड खातेदार कब्जेधारी है जिस बाबत् अपीलार्थीगण द्वारा अपने समस्त दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिन पर गौर नहीं किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी जाहिर किया गया था कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता0 10 दिनांक 27.10.2014 को अपीलार्थीगण की भूमि की तार बाउण्ड्री को उखाडकर ले गये जिसके बाबत् अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध थाना कालाडेरा में एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गयी। जिसमें पुलिस थाना कालाडेरा द्वारा अनुसन्धान कर प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 10 को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 चौंमू के समक्ष दिनांक 24.10.2015 को आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिससे साबित है कि प्रत्यर्थीगण का अपीलार्थीगण की कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकर नहीं है ना ही किसी का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया गया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के हक में हुए विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2014 व 05.08.2014 को निरस्त करवाये जाने बाबत् एक वाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौंमू के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौंमू द्वारा प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज फरमाया गया कि प्रत्यर्थीगण का विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य व सबूत के यह कहना कि वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा तनावग्रस्त है, मात्र कोरी कल्पना है चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित था कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 10 का अपीलार्थीगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनका विवादग्रस्त सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के लिए तीनों बिन्दु प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन,

अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू की विवेचना किया जाना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनों बिन्दुओं का विवेचन किये बिना ही आदेश अपीलाधीन पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त कथन कर अपीलान्टस द्वारा अपील स्वीकार किये जाने तथा रेस्पोडेंटस संख्या 1 ल0 10 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोड्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमों मे वर्णित तथ्यो को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर निर्णय पारित करते समय तीनों घटकों प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं की कोई विवेचना नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि के अपीलार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेंट 1 ल0 10 का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने से प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया था कि रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलान्टस को उनकी खातेदारी भूमि से जबरिया बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे अपूर्तनीय क्षति अपीलान्टस को होने की संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तथ्यों एवं कानून के विपरीत खारिज किया गया है तथा उक्त आदेश निरस्त किये जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के चारों ओर रेस्पोडेंट द्वारा ही तार बाउण्ड्री की गई है तथा खसरा नम्बर 1145, 1147, 1147/1254 पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण अपीलान्ट का भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा उनके द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक करवाये जाने के समय कब्जा हस्तान्तरित नहीं हुआ था। वादग्रस्त भूमि के संबंध में धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। प्रार्थीगण अपीलान्ट का कब्जा नहीं होने से उनका स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा/प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित तीनों घटक प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश द्वारा उचित तौर पर खारिज किया गया है तथा अपील खारिज योग्य है।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्टस प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन करते हुए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि वे भूमि खसरा नम्बर 1145, 1147 व 1147/1254 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि उन्होनें जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व खातदोरो से क्रय की था तथा क्रय के वक्त से ही वादग्रस्त भूमि के काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेंटस का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा वे अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करते हैं तथा इसी उद्देश्य से उन्होने अपीलान्ट द्वारा की गई तार बाउण्ड्री को नष्ट कर दिया था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन करते हुए न्यायालय के समक्ष दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2016 द्वारा प्रार्थीगण अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार करते हुए उभय पक्षकारान को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1145, 1147 एवं 1147/1254 के मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उक्त आदेश यह कहते हुए पारित किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं है एवं तनावग्रस्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष इस आधार पर लिया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का कब्जा होना कथन किया गया है तथा थानाधिकारी कालाडेरा द्वारा इस्तगासा अस्थाई निषेधाज्ञा 145 भारतीय दंड संहिता दायर किया गया है जिसमें अप्रार्थीगण का कब्जा होना वर्णित किया है। इस पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी की प्रति से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1145 के हिस्सा 287/896 तथा खसरा नम्बर 1147, 1147/1254 के हिस्सा 9/14 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण है। रेस्पोडेंटस संख्या 1 ल0 10 का राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। जहां तक अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार का ही कब्जा खातेदारी भूमि पर माना जावेगा। जहां तक 145 सी.आर.पी.सी. के इस्तगासा में थानाधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण का कब्जा बताने जाने का प्रश्न है, फौजदारी प्रकरण के दौरान तैयार की गई किसी रिपोर्ट को राजस्व न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप मे ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त रिपोर्ट में थानाधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा होने का कथन किया गया है। जिससे रेस्पोडेंटस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थीगण को यदि उनकी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने तथा रेस्पोडेंट का वादग्रस्त भूमि पर प्रथमदृष्टया कोई हक अधिकार नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलाधीन आदेश द्वारा जो उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है वह विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों घटक प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में बखूबी साबित है अतः उनका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

8– अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–11–2016 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंटस अप्रार्थीगण संख्या 1 ल0 10 को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1145, 1147 व 1147/1254 पर लगे लोहे के पोल व तार बाउण्ड्री को खुर्द–बुर्द न करें न ही अपीलार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर अपीलार्थीण के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत करे तथा अपीलार्थीगण के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 04–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर